

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

12017 II/नि./सीधी/भू.रा./2017/1539

मुन्ना लाल पिता स्व. श्री रामचन्द्र पटेल,
निवासी- ग्राम उकरहा तहसील चुरहट
जिला सीधी (म.प्र.)

---आवेदक

विरुद्ध

1. देवकुमार पटेल पिता स्व. श्री श्यामलाल पटेल,
2. कमला देवी पत्नी स्व. श्री श्यामलाल पटेल,
3. मिश्रीलाल पिता स्व. श्री रामचन्द्र पटेल,
निवासीगण- ग्राम उकरहा तहसील चुरहट
जिला सीधी (म.प्र.)

---अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील चुरहट, जिला
सीधी, द्वारा प्रकरण क्रमांक 81/अ-27/2014-15 में
पारित आदेश पारित दिनांक 25/05/2017 एवं की जा
रही विभाजन कार्यवाही के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व
संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:

1. यहकि, ग्राम उकरहा तहसील चुरहट जिला सीधी में स्थित बंदोबस्त पूर्व भूमि सर्वे क्रमांक 14 रकबा 0.10 हे., सर्वे न. 314 रकबा 0.627, सर्वे क्रमांक 370 रकबा 0.362 हे., सर्वे न. 607 रकबा 0.109 हे., सर्वे न. 610 रकबा 0.958 हे., सर्वे न. 935 रकबा 0.081 हे., सर्वे न. 939 रकबा 0.146 हे. कुल कित्ता 7 कुल रकबा 1.582 हे. से बने नये नवीन सर्वे न. 101, 456, 469, 1081, 1367, 1423 एवं 1539 भूगिरियों के कुल रकबा में 1/4 हिस्सा आवेदक की माँ गेंदउआ, 1/4 हिस्सा

श्री अमित भागत (स.)
द्वारा आज दि. 2-6-17 को
प्रस्तुत

Dr. D. D. Sharma
2-6-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर


A. B. G. G. V. A.
2-6-17
अमित भागत
(आधीन)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- दो / निगरानी / सीधी / भू.रा. / 2017 / 1539

मुन्नालाल विरुद्ध देवकुमार पटेल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
<p>18-02-2019 <u>20.02.2019</u></p>	<p>आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, तहसील चुरहट जिला-सीधी के प्रकरण क्रमांक 81/अ-27/2014-2015 में पारित आदेश दिनांक 25-05-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 18-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> (अ.के. जैन) सदस्य 20/2/2019</p>